

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 23/07/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 22.07.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर को अवैध असलहा व कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.07.2025 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/ के दौरान युसुफपुर रेलवे स्टेशन के आगे रेलवे क्रासिंग के पास से हिस्ट्रीशीटर मो0 सलीम शाह पुत्र स्व0 बदरुद्दीन शाह निवासी मंगल बाजार वार्ड नंबर 12 युसुफपुर कस्बा व थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर उम्र 45 वर्ष को एक अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । जो थाना मुहम्मदाबाद थाने का हिस्ट्रीशीटर है । बरामद अवैध तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 226/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग उक्त गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. मो0 सलीम शाह पुत्र स्व0 बदरुद्दीन शाह निवासी मंगल बाजार वार्ड नंबर 12 युसुफपुर कस्बा व थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर उम्र 45 वर्ष

अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 226/2025 धारा 3/25 Arms Act थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 004/2020 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि व 30 Arms Act थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 287/2022 धारा 3(1) उ0 प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी
4. मु0अ0सं0 369/2021 धारा 419/420/467/468/471/506/177/120बी भादवि व 7 सीलए एक्ट थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी
5. मु0अ0सं0 55/2021 धारा 3(1) उ0 प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

02. “श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर अपहरण/पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारवास व 30000/- रू0 अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा ।”

दिनांक 22.07.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 970/2017 धारा- 363,366,376,506, भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त चन्द्रकेशव पुत्र हरिशंकर निवासी करीमुल्लाहपुर रामबन थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 15000/- रू0 का अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का साधारण कारावास व 5000/- रू0 का अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का साधारण कारावास व 10000/-रू0 का अर्थदण्ड, धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया ।

03. थाना नोनहरा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 228/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/299/115(2)/352/351(3)/127(2)/110 व 7 CLA Act से सम्बन्धित 06 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.07.2025 को उ0नि0 अजय कुमार यादव मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 228/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/299/115(2)/352/351(3)/127(2)/110 व 7 CLA Act से सम्बन्धित 06 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. मो0 वैश 2. अकबर अली 3. मोहसीन रज्जा 4. दानिश अंसारी 5. खुर्शीद व 6. बरकत अली को ग्राम रसूलपुर हबीबुल्लाह से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. मो0 वैश पुत्र मो0 अब्दुल्ला निवासी ग्राम रसूलपुर हबीबुल्लाह थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र 28 वर्ष
2. अकबर अली पुत्र रहमत अली निवासी ग्राम रसूलपुर हबीबुल्लाह थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र 23 वर्ष
3. मोहसीन रज्जा पुत्र मो0 अब्दुल्ला निवासी ग्राम रसूलपुर हबीबुल्लाह थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र 21 वर्ष
4. दानिश अंसारी पुत्र रियाजुद्दीन निवासी ग्राम रसूलपुर हबीबुल्लाह थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष
5. खुर्शीद पुत्र जौवाद निवासी ग्राम रसूलपुर हबीबुल्लाह थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र 40 वर्ष
6. बरकत अली पुत्र शौकत अली निवासी ग्राम चौकिया थाना सदर कोतवाली जनपद गाजीपुर हालपता रसूलपुर हबीबुल्लाह थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र 22 वर्ष

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 228/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/299/115(2)/352/351(3)/127(2)/110 व 7 CLA Act थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर ।

4.थाना बिरनो पुलिस टीम द्वारा 01 अदद तंमचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतुस .315 बोर के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 22.07.2025 को उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह थाना बिरनो जनपद गाजीपुर द्वारा चेकिंग के दौरान भडसर बाजार शराब ठेके के आगे सैनिक कैण्टीन से पहले अभियुक्त राजकुमार चौहान पुत्र मुन्नीलाल चौहान निवासी कदिरसापुर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया । जिसके पास से एक अदद तंमचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस .315 बोर बरामद हुआ । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 114/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.राजकुमार चौहान पुत्र मुन्नीलाल चौहान निवासी कदिरसापुर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर ।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर